जानने का अधिकार था । यदि ऐसा था तो इस न्यायालय को आगे और विचारण करने की और सामान्य रूप से यह घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी कि इस संदर्भ में गोपनीयता के अधिकार के बारे में कौन-कौन से अधिकार और बाध्यताएं उद्भूत होंगी अथवा यह कि ऐसे व्यक्ति विवाह करने के हकदार हैं अथवा नहीं या यह कि यदि ऐसे व्यक्ति विवाह कर लेते हैं तो उनका ऐसा करना विधि की दृष्टि में अपराध की कोटि में आएगा या यह कि क्या ऐसा अधिकार बीमारी की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा । इसलिए पूर्वोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई वे सभी मताभिव्यक्तियां अनावश्यक थीं, विशिष्टतया तब जब संबंधित सभी पक्षकारों को सूचना (नोटिस) देने के पश्चात् भी इस विषय पर कोई विचार नहीं किया गया था ।

7. मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किए जाने के सिवाय, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की एच.आई.वी. पोजेटिव प्रास्थिति की बाबत उसकी मंगेतर के नातेदारों को बताने से अपीलार्थी का भी रीति में अधिकार प्रभावित नहीं हुआ, की गई अन्य मताभिव्यक्तियां अनावश्यक हैं । इन मताभिव्यक्तियों के साथ हम इन आवेदनों का निपटारा करते हैं ।

तद्नुसार निपटारा किया गया ।

उ./ज.

[2003] 3 उम. नि. प. 251

यू. धर और एक अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और एक अन्य

20 जनवरी, 2003.

न्यायमूर्ति एम.बी. शाह और न्यायमूर्ति अरूण कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 403, 406, 420 और 120-ख – यदि किसी मामले में सुसंगत धारा के आधारभूत संघटकों का समाधान नहीं होता है, तो व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश पारित करना कदापि न्यायसंगत नहीं है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार कतिपय संकर्मों को करने के लिए कतिपय इस्पात कम्पनी से एक संविदा की । कंपनी के उत्पादन केन्द्र ने उक्त काम का प्रदाय वाला भाग तो पूरा कर लिया और परिनिर्माण संबंधी काम एक अन्य इकाई को सौंप दिया । इसने एक निविदा द्वारा उक्त काम परिवादी कम्पनी को प्रदान कर दिया । काम पूरा होने के पश्चात् संविदा की शेष रकम का संदाय न होने के कारण परिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 420 और 120-ख के अधीन स्थानीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद फाइल किया । संबंधित मजिस्ट्रेट ने अभिकथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए अपीलार्थियों के विरुद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया । इसके विरुद्ध अपीलार्थियों ने राज्य उच्च न्यायालय में एक प्रकीर्ण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णत: सिविल प्रकृति का है । परिवादी की शिकायत टी.सी.पी.एल. द्वारा संविदा के अधीन अतिशेष रकम का संदाय न करने के संबंध में है जबकि उसके अनुसार काम पूरा हो गया । अपीलार्थियों

ने इस पर विवाद किया है । (पैरा 4)

न्यायालय के विचार में इसमें जो सुसंगत है वह यह है कि कतिपय संकर्मों के निष्पादन के संबंध में टी.सी.पी.एल. और परिवादी के मध्य जो संविदा हुई थी वह एक स्वतंत्र संविदा थी और परिवादी के पक्षकथन को यदि सही भी मान लिया जाए तो भी अधिक से अधिक यह टी.सी.पी.एल. द्वारा संविदा के अधीन देय उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहने के कारण धन वसूली का मामला है । परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि टी.सी.पी.एल. प्रश्नगत काम के लिए 'सेल' से उक्त रकम पहले ही प्राप्त कर चुका है और उसने इसका संदाय परिवादी को करने के बजाय अपने स्वयं के लिए प्रयोग करके दुर्विनियोग किया और इस कारण से धारा 403, 406 और 420 इत्यादि के अधीन अभिकथित अपराध किए । (पैरा 5)

निचले न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि बोकारो इस्पात ('सेल' की इकाई) और टी.सी.पी.एल. के मध्य संविदा एक पृथक् और स्वतंत्र संविदा थी । परिवादी और टी.सी.पी.एल. के मध्य संविदा पूर्णतया भिन्न संविदा है । दोनों संविदाओं के अधीन संवीदात्मक बाध्यताएं एक दूसरे से पृथक् और स्वतंत्र हैं । पक्षकारों अर्थात् परिवादी और टी.सी.पी.एल. के अधिकार और बाध्यताएं उनके मध्य हुई संविदा द्वारा शसित होंगी जिसके लिए टी.सी.पी.एल. और बोकारो इस्पात (सेल) के मध्य हुई संविदा सुसंगत नहीं है । अत: यदि बोकारो इस्पात ने पश्चात् कथित कम्पनी के साथ की गई संविदा के अधीन टी.सी.पी.एल. को संदाय कर भी दिया, तो भी वह धन के दुर्विनियोग का अभिवाक् नहीं कर सकती क्योंकि वह रकम परिवादी की रकम अथवा जंगम सम्पत्ति नहीं है । (पैरा 6)

तथापि धारा 403 में 'बेईमानी से' और 'दुर्विनियोग' शब्दों का प्रयोग किया गया है । ये भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अधीन किसी अपराध के आवश्यक संघटक हैं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इनमें से कोई भी संघटक पूरा नहीं हुआ है । (पैरा 7)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 70.

2001 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 4780 में झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 3 मई, 2002 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री आर.के. जैन और एम.के. दुआ

हाजिर पक्षकारों की ओर से सर्वश्री एस.के. ढोलकिया, गोपाल प्रसाद, एम.पी. झा, राम इकबाल राय, संजीव मिश्र, अनिल कुमार चोपड़ा और अनिल के. झा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरूण कुमार ने दिया ।

न्या. अरुण कुमार – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील टाटा कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री यू. धर और उपाध्यक्ष (ऑपरेशन्स) श्री आशीष राय दोनों के द्वारा दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 4780/2001 में झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 3 मई, 2002 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें के अपीलार्थी द्वारा तारीख 19 जून, 2001 के उस आदेश को अभिखंडित करने के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया था जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बोकारो द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 420 और 120-ख के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया था ।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सेल' कहा गया है) की एक इकाई है, ने मैसर्स टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लि. (मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'टिस्को' कहा गया है) के उत्पादन केन्द्र (ग्रोथ शॉप)' को कतिपय संकर्मों के लिए संविदा प्रदान की । टिस्को उत्पादन केन्द्र ने उक्त संकर्म का प्रदाय करने वाला भाग तो पूरा

कर दिया किंतु संकर्म के परिनिर्माण वाले भाग को मैसर्स टाटा कंस्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट लि. (जिसे इसमें इसके पश्चात् टी.सी.पी.एल. कहा गया है) को सौंप दिया । इसी क्रम में टी.सी.पी.एल. ने निविदा जांच जारी की और उक्त संकर्म परिवादी मैसर्स सिंह कंस्ट्रक्शन कम्पनी को प्रदान कर दिया । परिवादी के अनुसार संकर्म पूरा करने के पश्चात् उसने टी.सी.पी.एल. से संविदा की अतिशेष रकम के संदाय की मांग की । इसमें के अपीलार्थी टी.सी.पी.एल. के प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष (ऑपरेशन्स) हैं । जब परिवादी किए संकर्म का संदाय प्राप्त करने में असफल रहा, तो उसने तारीख 11 जनवरी, 2001 को भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 420 और 120-ख के अधीन बोकारो में एक परिवाद फाइल किया । संबंधित मजिस्ट्रेट ने अभिकथित अपराधों का संज्ञान लिया और तारीख 19 जून, 2001 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों को सम्मन जारी किए । अपीलार्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 4780/2001 फाइल करके उक्त आदेश को चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने तारीख 3 मई, 2000 को उक्त आवेदन खारिज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया ।

4. वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों का संज्ञान लिए जाने से संबंधित विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया था । अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल ने यह दलील दी कि परिवाद का परिशीलन करने से यह दर्शित है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों का कोई मामला नहीं बनता है इसलिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पूर्णत: अधिकारिता रहित है । अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल के अनुसार धन के संदाय से संबंधित संविवाद पूर्णत: सिविल संविवाद है और अभिकथित अपराधों के लिए दांडिक परिवाद का कोई मामला नहीं बनता है । हमसे परिवाद का परिशीलन करने के लिए कहा गया और हमारा ध्यान विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और उच्च न्यायालय के पुष्टि करने वाले आदेश की ओर भी आकृष्ट किया गया । अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णत: सिविल प्रकृति का है । परिवादी की शिकायत टी. सी. पी. एल. द्वारा संविदा के अधीन अतिशेष रकम का संदाय न करने के संबंध में है जबकि उसके अनुसार काम पूरा हो गया । अपीलार्थियों ने इस पर विवाद किया है ।

5. हमारे विचार में इसमें जो सुसंगत है वह यह है कि कतिपय संकर्मों के निष्पादन के संबंध में टी.सी.पी.एल. और परिवादी के मध्य जो संविदा हुई थी वह एक स्वतंत्र संविदा थी और परिवादी के पक्षकथन को यदि सही भी मान लिया जाए तो भी अधिक से अधिक यह टी.सी.पी.एल. द्वारा संविदा के अधीन देय उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहने के कारण धन वसूली का मामला है । परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि टी.सी.पी.एल. प्रश्नगत काम के लिए 'सेल' से उक्त रकम पहले ही प्राप्त कर चुका है और उसने इसका संदाय परिवादी को करने के बजाय अपने स्वयं के लिए प्रयोग करके दुर्विनियोग किया और इस कारण से धारा 403, 406 और 420 इत्यादि के अधीन अभिकथित अपराध किए ।

6. निचले न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि बोकारो इस्पात ('सेल' की इकाई) और टी. सी. पी. एल. के मध्य संविदा एक पृथक् और स्वतंत्र संविदा थी । परिवादी और टी. सी. पी. एल. के मध्य संविदा पूर्णतया भिन्न संविदा है । दोनों संविदाओं के अधीन संवीदात्मक बाध्यताएं एक दूसरे से पृथक् और स्वतंत्र हैं । पक्षकारों अर्थात् परिवादी और टी. सी. पी. एल. के अधिकार और बाध्यताएं उनके मध्य हुई संविदा द्वारा शासित होंगी जिसके लिए टी. सी. पी. एल. और बोकारो इस्पात (सेल) के मध्य हुई संविदा सुसंगत नहीं है । अत: यदि बोकारो इस्पात ने पश्चात् कथित कम्पनी के साथ की गई संविदा के अधीन टी. सी. पी. एल. को संदाय कर भी दिया, तो भी वह धन के दुर्विनियोग का अभिवाक् नहीं कर सकती क्योंकि वह रकम परिवादी की रकम अथवा जंगम सम्पत्ति नहीं है ।

7. तथापि धारा 403 में 'बेईमानी से' और 'दुर्विनियोग' शब्दों का प्रयोग किया गया है । ये भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अधीन किसी अपराध के आवश्यक संघटक हैं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इनमें से कोई भी संघटक पूरा नहीं हुआ है । परिवाद के पैरा 14 में परिवादी ने यह कहा है कि :–

" .....परिवादी के संदाय का निर्मोचन कभी भी बोकारो इस्पात संयंत्र, जोकि सेल की इकाई है, द्वारा टिस्को और टी. सी. पी. एल. उत्पादन केन्द्र को संदाय किए जाने पर निर्भर नहीं था ।"

8. अत:, स्वीकार्यत: दोनों संविदाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए एक के अधीन किया गया संदाय दूसरे के सुसंगत नहीं है । न ही यह कहा जा सकता है कि इसमें अपीलार्थियों का कोई बेईमानी का आशय था और न ही यह कहा जा सकता है टी.सी.पी.एल. अथवा अपीलार्थियों ने परिवादी की जंगम सम्पत्ति का अपने स्वयं के उपयोग के लिए दुर्विनियोग अथवा संपरिवर्तन किया । चूंकि भारतीय दंड संहिता में की सुसंगत धारा के आधारभूत संघटकों का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अपराध का संज्ञान लेने और अपीलार्थियों को सम्मन जारी किए जाने से संबंधित पूर्णत: असंगत है । ऐसे किसी आदेश के गंभीर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं । जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है जब परिवादी द्वारा फाइल परिवाद के अनुसार भी अभिकथित अपराधों का कोई मामला नहीं बनता है, तो अपीलार्थियों का अभिकथित अपराधों के लिए विचारण करने का भी कोई कारण नहीं है । अतएव अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेशों को एतद्द्वारा अभिखंडित किए जाने का आदेश किया जाता है ।

2003 की दांडिक अपील सं. 71 अर्थात् विशेष इजाजत आवेदन (दांडिक) सं. 2698/2002

9. इजाजत दी जाती है ।

10. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अपील भी मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

उ./मदन

[2003] 3 उम. नि. प. 254

भारत संघ और अन्य

बनाम

ए.पी. बाजपेयी और अन्य

20 जनवरी, 2003

न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल और न्यायमूर्ति एच.के. सेमा

सेवा विधि – केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 – नियम 5(1) – अस्थायी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा और अवहेलना करना – सर्वथा सेवा समाप्ति – यदि कोई अस्थायी कर्मचारी कर्तव्यों की उपेक्षा और अवहेलना करने के कारण सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्ति का आदेश सर्वथा न्यायोचित होगा और ऐसे सर्वथा सेवा समाप्ति के आदेश से कर्मचारी के आचरण पर कोई कलंक नहीं लगेगा ।

प्रत्यर्थी की नियुक्ति आसचूना ब्यूरो गृह मंत्रालय में सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में हुई थी । कर्तव्यों की उपेक्षा और अवहेलना करने के कारण उसका कार्य असंतोषजनक पाया गया और परिणामस्वरूप सर्वथा सेवा समाप्ति के आदेश द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई । सेवा समाप्ति के उक्त आदेश को प्रत्यर्थी ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी जिसे अधिकरण द्वारा मंजूर कर लिया गया